

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/कर-शुल्क-01/2023 परि0 12059 पटना, दिनांक-11.09/2024

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-23 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार राज्य में निबंधित कर-प्रमादी परिवहन/गैर-परिवहन वाहन/ट्रैक्टर-ट्रेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) द्वारा बकाया एकमुश्त पथकर/हरित कर जमा करने पर अर्थदण्ड/ब्याज से विमुक्ति तथा उपरोक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर) ट्रैक्टर-ट्रेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) को बकाया पथकर एकमुश्त जमा करने पर सभी प्रकार के अर्थदण्ड से सर्वक्षमा (Amnesty) और वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदण्ड की माफी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से दिनांक-31.03.2025 तक के लिए प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	बकाया कर/फीस का प्रकार	वाहनों का प्रकार	कर में रियायत
1.	पथकर	अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी ट्रैक्टर-ट्रेलर	एकमुश्त ₹ 30,000/- तीस हजार रुपये जमा करने पर, उस वाहन पर शेष देय कर/अर्थदण्ड से सर्वक्षमा दी जायेगी एवं यदि नीलामपत्र-वाद दायर हो तो उसे वापस ले लिया जायेगा।
		अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (ट्रैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित यान (Electric Vehicle)	देय मूल पथकर एवं 30% अर्थ दण्ड जमा करने पर शेष अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

h

2.	अस्थायी निबंधन की फीस	केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-42-सह पठित बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-46 के आलोक में पूर्व में यदि कोई वाहन विक्रेता, बिना अस्थायी निबंधन के, कोई वाहन वाहन क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वाहन विक्रेता बिना अस्थायी निबंधन के बेचे एवं सुपुर्द किये गये वाहनों का अस्थायी निबंधन का फीस जमा कर देता है, तो उन्हें अर्थदण्ड यदि कोई हो, से विमुक्ति दिया जायेगा। यह अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के मामले में लागू होगा।	देय फीस जमा करने पर देय अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
3.	हरित कर	अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी सभी प्रकार के वाहन	देय मूल हरित कर एवं 30% अर्थ दण्ड जमा करने पर शेष अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
4.	ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर	वैसे डीलर, जिनपर ट्रेड टैक्स की देयता है और ट्रेड टैक्स ससमय जमा नहीं करने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित है।	मूल व्यापार कर एवं 30% अर्थ दण्ड जमा करने पर शेष अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/कर-शुल्क-01/2023 परि0 12059 पटना, दिनांक-11/09/2024
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव,
ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/कर-शुल्क-01/2023 परि0 12059 पटना, दिनांक-11/09/2024
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/कर-शुल्क-01/2023 परि0 12059 पटना, दिनांक-11/09/2024
प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के
सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान
निरीक्षक/ सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-02/कर-शुल्क-01/2023 परि0 12059 पटना, दिनांक-11/09/2024
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, सरकार के आप्त सचिव को
सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव।

h

ज्ञापांक-02/कर-शुल्क-01/2023 परि0-12059 पटना, दिनांक-11/09/2024
प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में
आवश्यक संशोधन/मैपिंग करने की कृपा की जाय।

Har
12/9

सरकार के सचिव।